



JAIPUR

Challan Receipt (Contd)



201-B-00243008023

Date: 01/03/19 02:41 PM

Location: Tilak Marg, Jaipur

Vehicle No: ASHOK NAGAR

Challan No: 1100XS00000000

Driver: JAI RAM SINGH

Address: 1100, 1100, 1100

JAIPUR

Reg. No: 1100, 1100, 1100

Exp. Date: 01/03/2021

Challan No

R/C: RJ14TE4188

Vehicle No: 1100

Reg. No: 1100, 1100, 1100

Obs. No: 1100, 1100, 1100

The driver was driving above mentioned vehicle and has violated traffic rule which is punishable under M.V. Act 1988 (a) M.V. Rules 1990

1. Violation of Signals (119/117 (b))
2. Driving Dangerously (184)

Total Fine Rs. 1100.00/-

Offender has paid Rs. 1100.00/- composition fine and Rs.

1100.00/- for violation of 119/117 (b) of M.V. Act 1988. Fine has been collected.

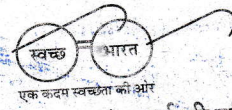
Signature

Offender

Signature of Officer (AST)

रा.पु.मु.ज.

राजस्थान पुलिस



R.P.T. - I

उल्लंघनकर्ता की प्रति/कार्यालय प्रति

वर्ष 2019 क्रमसं: **0531287** क्षेत्र.....
श्री..... विशेष मजिस्ट्रेट.....
वाहन वर्ग..... वाहन सं. **R.M.T.E** चालक लाइसेंस सं. **RJ0720160008940**
श्रीमान्..... **4188**.....
मैं निवेदन करता हूँ कि दिनांक **19-11-18** समय **5.42.40** बजे सुबह/शाम
श्री..... सुपुत्र/पुत्री/पति श्री.....
निवासी **2 नमन 1 मेरवाला** ने स्थान **राजस्थान**
पर एम. वी. एक्ट/नियम **44-6 प्रस्ताव न/का/102** **51 नमन**

R- 00116 **112/1830**

का उल्लंघन किया है जो दण्डनीय है।

एम. वी. एक्ट 1988 व राजस्थान मोटर व्हीकल नियम 1990 के अनुसार उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करें।

कब्जे में लिए गये दस्तावेज 1..... वैध.....
2..... वैध.....

उल्लंघनकर्ता को सूचित किया गया है कि वह दिनांक..... समय..... बजे उपरोक्त
न्यायालय में पेश होगा।

गवाह 1..... 2.....

प्रमन
उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर



राजस्थान पुलिस

Prakash
चालानकर्ता के हस्ताक्षर

रसीद राशि प्रशमन

फार्म जी. ए. 0141 - R.P.T. - II

उल्लंघनकर्ता ने धारा 200 - मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत उल्लंघन के लिए कमोजिशन शुल्क के तौर पर रुपये.....
..... शब्दों में..... अदा करने के लिए सहमति दे दी है,

जो उससे प्राप्त कर लिये हैं।

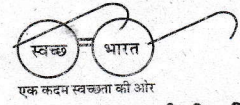
प्रमन
उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर

Prakash
चालानकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : **22-11-19**

रा.पु.मु.ज.

राजस्थान पुलिस



R.P.T. - I

उल्लंघनकर्ता की प्रति/कार्यालय प्रति

वर्ष 2019 क्रम सं. 0531288 क्षेत्र.....
श्री..... विशेष मजिस्ट्रेट.....
वाहन वर्ग..... वाहन सं. R-141E चालक लाईसेन्स सं. R567 2016 0008940
श्रीमान् 26.11.18 4188 00: 26.11.18 4/7/2031
मैं निवेदन करता हूँ कि दिनांक..... समय..... बजे सुबह/शाम
श्री..... पुत्र/पुत्री/पति श्री.....
निवासी.....
पर एम. वी. एक्ट/नियमों.....

R - 00046

one Speed
112/183(1)

का उल्लंघन किया है जो दण्डनीय है।

एम. वी. एक्ट 1988 व राजस्थान मोटर व्हीकल नियम 1990 के अनुसार उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करें।

कब्जे में लिए गये दस्तावेज 1..... वैध.....
2..... वैध.....
उल्लंघनकर्ता को सूचित किया गया है कि वह दिनांक..... समय..... बजे उपरोक्त
न्यायालय में पेश होगा।

गवाह 1..... 2.....

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर



चालानकर्ता के हस्ताक्षर

रसीद राशि प्रशमन

फार्म जी. ए. 0141 - R.P.T. - II

उल्लंघनकर्ता ने धारा 200 - मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत उल्लंघन के लिए कम्पोजिशन शुल्क के तौर पर रुपये.....
शब्दों में..... अदा करने के लिए सहमति दे दी है,
जो उससे प्राप्त कर लिये हैं।

दिनांक : 28-4-19

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर

चालानकर्ता के हस्ताक्षर

उल्लंघनकर्ता की प्रति/कार्यालय प्रति

वर्ष 2019 क्रम सं. 0531289

क्षेत्र.....

श्री.....

विशेष मजिस्ट्रेट

वाहन वर्ग.....

km

वाहन सं.

RJ4TE

चालक लाईसेन्स सं.

RJ0720160008940

श्रीमान्

4188

मैं निवेदन करता हूँ कि दिनांक

13-1-19

समय

22:31:26

बजे सुबह/शाम

श्री

सुपुत्र/पुत्री/पति श्री

निवासी

2 नमगंड मेवाड़

नेस्थान

मांजीला

पर एम. वी. एक्ट/नियमों

WN-6

2 नमगंड मेवाड़

JLN HIGH

R - 00042

Over Speed

112/183(1)

का उल्लंघन किया है जो दण्डनीय है।

एम. वी. एक्ट 1988 व राजस्थान मोटर व्हीकल नियम 1990 के अनुसार उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करें।

कब्जे में लिए गये दस्तावेज

1.....

वैध

2.....

वैध

उल्लंघनकर्ता को सूचित किया गया है कि वह दिनांक

समय

बजे उपरोक्त

न्यायालय में पेश होगा।

गवाह 1.....

2.....

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर



राजस्थान पुलिस

हस्ताक्षर
चालानकर्ता के हस्ताक्षर

रसीद राशि प्रशमन

फार्म जी. ए. 0141 - R.P.T. - II

उल्लंघनकर्ता ने धारा 200 - मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत उल्लंघन के लिए कम्पोजिशन शुल्क के तौर पर रुपये

50

शब्दों में

रुपय 50

जो उससे प्राप्त कर लिये हैं।

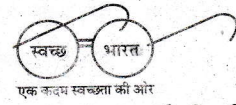
अदा करने के लिए सहमति दे दी है,

दिनांक : 22-4-19

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
चालानकर्ता के हस्ताक्षर

राजस्थान पुलिस

एक कदम स्वच्छता की ओर
उल्लंघनकर्ता की प्रति/कार्यालय प्रति

वर्ष 2019 क्रमसं. **0531290** क्षेत्र.....
 श्री..... विशेष मजिस्ट्रेट.....
 वाहन वर्ग **car** वाहन सं. **RJ14TE** चालक लाईसेंस सं. **RJ07 2016 0008940**
 श्रीमान् **4188**
 मैं निवेदन करता हूँ कि दिनांक **16-1-19** समय **4:28:26** बजे सुबह/शाम
 श्री..... सपुत्र/पुत्री/पति श्री **साजीमाल**
 निवासी **खनमण्ड मेवाडा** ने स्थान **जलमण्ड**
 पर एम. वी. एक्ट/नियमों **WN-6 मुक्त एफ़ाइनर**

R-00025**Over Speed**
112/183(1)

का उल्लंघन किया है जो दण्डनीय है।

एम. वी. एक्ट 1988 व राजस्थान मोटर व्हीकल नियम 1990 के अनुसार उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करें।

कब्जे में लिए गये दस्तावेज 1..... वैध.....
 2..... वैध.....

उल्लंघनकर्ता को सूचित किया गया है कि वह दिनांक..... समय..... बजे उपरोक्त
 न्यायालय में पेश होगा।

गवाह 1..... 2.....

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर



राजस्थान पुलिस

के.एस.एस.
 चालानकर्ता के हस्ताक्षर

रसीद राशि प्रशमन

फार्म जी. ए. 0141 - R.P.T. - II

उल्लंघनकर्ता ने धारा 200 - मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत उल्लंघन के लिए कम्पोजिशन शुल्क के तौर पर रुपये.....

750 शब्दों में **रसिद 501 42107** अदा करने के लिए सहमति दे दी है,
 जो उससे प्राप्त कर लिये हैं।

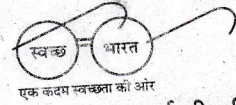
दिनांक : **22-4-19**

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर

के.एस.एस.
 चालानकर्ता के हस्ताक्षर

रा.पु.मु.ज.

राजस्थान पुलिस



R.P.T. - I

उल्लंघनकर्ता की प्रति/कार्यालय प्रति

वर्ष 2019 क्रम सं. 0531291 क्षेत्र
श्री. an विशेष मजिस्ट्रेट R507201600008940
वाहन वर्ग वाहन सं. 4188 चालक लाईसेंस सं. 4/7/2036
श्रीमान् 5-2-19 समय 00:23:31 बजे सुबह/शाम
मैं निवेदन करता हूँ कि दिनांक 22-4-19 पुत्र/पुत्री/पति श्री मांजीलाम
श्री निवासी 6252400 वाहन नं. JZNHW
पर एम. वी. एक्ट/नियमों

R-50026

Over Speed
112/183(1)

का उल्लंघन किया है जो दण्डनीय है।

एम. वी. एक्ट 1988 व राजस्थान मोटर व्हीकल नियम 1990 के अनुसार उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करें।

कब्जे में लिए गये दस्तावेज 1

2

वैध

वैध

समय

बजे उपरोक्त

उल्लंघनकर्ता को सूचित किया गया है कि वह दिनांक

न्यायालय में पेश होगा।

गवाह 1

2

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर



राजस्थान पुलिस

Chaurasi
चालानकर्ता के हस्ताक्षर

रसीद राशि प्रशमन

उल्लंघनकर्ता ने धारा 200 - मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत उल्लंघन के लिए कम्पोजिशन शुल्क के तौर पर रुपये

शब्दों में

जो उससे प्राप्त कर लिये हैं।

दिनांक :

22-4-19

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर

Chaurasi
चालानकर्ता के हस्ताक्षर

फार्म जी. ए. 0141 - R.P.T. - II